प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.04.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में चोरी करने वाले 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी व 03 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 14.04.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र कस्बा के निठोरा अन्डरपास से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर वाहन चोर अभियुक्त 1.अहाद उर्फ अद्दू पुत्र समीम निवासी साजिद की कोठी के सामने 30 फुटा रोड़ अहमद नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2.समीर उर्फ समर पुत्र शहजाद निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली सुनहरी मस्जिद के पास इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3.रिहान उर्फ इंतजार पुत्र अब्दुल्ला निवासी हड्डी गोदाम वाली गली टंकी के पास अशोक विहार थाना लोनी उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल अपाचे फर्जी नम्बर प्लेट रजि0 नं0-DL6S BC 7140 लगी व 03 स्कूटी बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण-

अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर अपराधी हैं जो आपस में मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी करते हैं तथा चोरी के वाहनों को सुनसान स्थानों पर छिपा देते हैं और मौका पाकर वाहन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर सस्ते दामों मे अनजान व्यक्तियों को बेच देते हैं।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अहाद उर्फ अद्दू पुत्र समीम निवासी साजिद की कोठी के सामने 30 फुटा रोड़ अहमद नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

2. समीर उर्फ समर पुत्र शहजाद निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली सुनहरी मस्जिद के पास इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

3.रिहान उर्फ इंतजार पुत्र अब्दुल्ला निवासी हड्डी गोदाम वाली गली टंकी के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

1. मोटरसाइकिल TVS अपाचे रजि0 न0 प्लेट (नं0-DL6S BC 7140) फर्जी न0 प्लेट DL7SCE 7872 ,
2. स्कूटी सजूकी रजि0 नं0 DL5SBS7734
3. स्कूटी एक्टिवा रजि0 नं0 DL5SBR5507
4. स्कूटी एक्टिवा रजि0 नं0 DL10SR5202

अपराधिक इतिहास

1 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-01
2.दिल्ली में पंजीकृत अभियोग की संख्या-03

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी श्री मोहम्मद अहमद निवासी पुनीत एन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के द्वारा उनकी बेटी के साथ हुई मोबाइल लूट के सम्बन्ध में तहरीर दी गई जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।
थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.04.2024 को पावी सादकपुर कब्रिस्तान के पास चौकी पुस्ता क्षेत्र से अभियुक्त रिहान पुत्र इकरामूद्दीन निवासी खनका वाली गली पुनित एन्कलेव थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह जो मोबाइल फोन मेरे पास है उसे मैने 08-10 दिन पहले पूजा कालोनी में एक लड़की के हाथ से छीना था। जिसे में राह चलते लोगों को अधिक दाम में बेचता। मैं बेचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रिहान पुत्र इकरामूद्दीन निवासी खनका वाली गली पुनित एन्कलेव थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक मोबाइल फोन

अपराधिक इतिहास

मोबाइल लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 14.04.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 28.03.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर अभियुक्त जाने आलम पुत्र तसलीम निवासी लाल क्वाटर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह दिनांक 28.03.2024 से 06 माह के लिए जिला बदर चल रहा है तथा दिनांक 13/14.04.2024 की रात्रि में पुलिस से बचते हुए अपने परिवार से मिलने के लिए घर आया था। पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–
जाने आलम पुत्र तसलीम निवासी लाल क्वाटर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
अभियुक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर 01 अभियोग हत्या, 02 अभियोग जान से मारने की धमकी तथा 01 अभियोग अवैध शस्त्र से सम्बन्धित पंजीकृत है तथा क्रॉसिंग रिपब्लिक से दिनांक 28.03.24 से 06 माह के लिए जिला बदर है तथा जिला बदर रहते हुए गुण्डा एक्ट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा फर्जी खाता खुलवाकर साइबर फ्राडकर्ताओ को बेचकर साइबर अपराध मे मदद करने वाले 05 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 16 अकाउंट किट (चैक बुक , डैबिट कार्ड) , 9 मोबाइल व 89000/- रुपये बरामद।

साइबर फ्राड की रोकथाम हेतु कमिश्रेट गाजियाबाद मे साइबर थाना गाजियाबाद से प्राप्त साइबर ठगी से सम्बन्धित बैंक खातो के सत्यापन कराये जा रहे थे जिसमे उपलब्ध कराये गये खाता संख्या 1207102100000691 खाता धारक THE DARK CAFÉ AND RESTAURANT जो कि प्रिया पाठक के नाम पर है की जांच की गयी तो पाया की दिनांक 30.03.2024 व 31.03.2024 को उक्त खाता मे करीब 1 करोड 56 लाख के अनाधिकृत ट्रान्जेक्शन होना पाया गया व उक्त धनराशि साइबर फ्राड से सम्बन्धित शिकायतो से सम्बन्धित होना पाया गया जिसके उपरान्त प्रकरण मे गहनता से जांच कर साइबर अपराध मे शामिल अभियुक्ता प्रिया पाठक समेत कुल 06 अभियुक्तगणों को दिनांक 14.04.24 को समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

<u>अपराध का तरीका -</u> अभियुक्तगण/अभियुक्ता मुख्यत लोगो का बैंक खाता खुलवाकर उनको पैसो का लालच देते थे तथा उन खातो का प्रयोग साइबर फ्राड से प्राप्त धनराशि को मंगाने मे करवाते थे।

<u>पूछताछ का विवरण</u>–साइबर थाना गाजियाबाद से प्राप्त खातो के सत्यापन कराया जा रहा था जिसके क्रम में पीएनबी बैंक के द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि खाता संख्या 1207102100000691 खाता धारक THE DARK CAFÉ AND RESTAURANT जो कि प्रिया पाठक के नाम पर है जिसकी साइबर टीम के द्वारा जांच की गयी तो पाया कि दिनांक 30.03.2024 व 31.03.2024 को उक्त खाते मे करीब 1 करोड 56 लाख रुपये के अनाधिकृत ट्रान्जेक्शन हुये थे जिसके सम्बन्ध में खाताधारक **प्रिया पाठक पुत्री राजेश पाठक निवासी फ्लैट न0 864 नीति खण्ड 1 इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष व उनके भाई अमन पाठक पुत्र राजेश पाठक निवासी फ्लैट न0 864 नीति खण्ड 1 इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष** से उपरोक्त खाते में हुयी अनाधिकृत ट्रान्जेक्शन के बारे में पूछताछ की गयी तो प्रिया ने बताया कि अपने भाई अमन पाठक व प्रदीप कुमार जो कि हमारे गांव के पास सिकन्दराराऊ का रहने वाला है उसके कहने पर मैने यह खाता खुलवाया था। जिसकी किट मैने अपने भाई के कहने पर प्रदीप को दे दी थी। जिसमें आये पैसे का मुझे कमीशन मिलता था।

उक्त खाते के सम्बन्ध में गहनता से साइबर पोर्टल पर चैक किया गया तो पता चला कि उपरोक्त खाता एनसीसीआरपी पोर्टल पर तीन राज्यो जिनमें कर्नाटक ,महाराष्ट्र,व तेलांगना की पांच साईबर शिकायत में रिपोर्टिड है। जिसमें जांच हेतु प्रिया पाठक व अमन पाठक के माध्यम से **प्रदीप सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी अरनिया तलेशरा थाना सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस उम्र 39 वर्ष** को थाने पर बुलाया गया जिसने पूछताछ में बताया कि यह करंट खाता व इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर 8755320392 प्रिया व अमन ने मुझे दिये थे। इस खाते के साथ अन्य खाते भी मैने अपने साथी **पवन सिंह ,सूर्य प्रताप , सौरभ कुशवाहा** जो कि बी 3, 2008 इको बिलेज सैकण्ड सैक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा बेस्ट, गौतम बुद्ध नगर में रहते है को उपलब्ध कराये थे। पूछताछ हेतु तीनो अभियुक्तगण **पवन सिंह ,सूर्य प्रताप , सौरभ कुशवाहा** को थाना पर बुलाया गया। जिनसे उपरोक्त व अन्य खातो के बारें में पूछा गया तो तीनो ने बताया कि हम लोगो से फर्जी आईडी पर करंट/कारपोरेट खाते खुलवाकर उनको पैसो का लालच देते है। तथा इन खातो में बीमा पालिसी व साइबर धोखाधडी करके आनलाईन धोखाधडी के पैसे मंगवाते है। प्रदीप हमें खाते लाकर देता था जो कि हम प्रशान्त जो कि आगरा का रहने वाला है व सन्नी जो कि उदयपुर राजस्थान का रहने वाला है को दे देते है। जो कि आगे से इन खातो में साइबर धोखाधडी इंश्योरेंस पाँलिसी के नाम पर हुई धोखाधडी का आनलाइन पैसा मंगवाते है।

पूछताछ करने पर पवन ने बताया कि जो खाता प्रिया ने हमें दिया था वह खाता भी हमने इन्ही लोगो की दिया था जिसमें काफी मोटे पैसै की ट्रान्जेक्शन हुई है। जिसका कमीशन हमे मिलता है जो हम लोग आपस में बांट लेते है। अन्य खातो की किटे जिसमें मुख्य तौर पर चैक बुक व डेबिट कार्ड तथा कुछ नकदी जो उन्ही खातो में मिले कमीशन से सम्बन्धित है जिनको अभियुक्तगण **पवन सिंह ,सूर्य प्रताप , सौरभ कुशवाहा** से बरामद की गयी है**।**

<u>अभियुक्तगण/ अभियुक्ता का नाम व पता</u>

1. पवन सिंह पुत्र पुष्कर निवासी खती गांव थाना पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड हाल पता दुर्गापुर नम्बर 2 दिनेश पुर गली न0 1 म0न0 86 रूद्र पुर थाना रूद्रपुर जिला उधमसिंह नगर उम्र 32 वर्ष
2. सूर्य प्रताप सिंह पुत्र रामसेवक सिंह निवासी मौहल्ला काजी टोला गायत्रीनगर जीटी रोड थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्र 40 वर्ष
3. सौरभ कुशवाह पुत्र रमेश चन्द्र कुशवाह निवासी गली न0 1 काजी टौला फरूखाबाद रोड़ बेबर थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्र 33 वर्ष
4. प्रदीप सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी अरनिया तलेशरा थाना सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस उम्र 39 वर्ष

5. अमन पाठक पुत्र राजेश पाठक निवासी फ्लैट न0 864 नीति खण्ड 1 इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
6. प्रिया पाठक पुत्री राजेश पाठक निवासी उपरोक्त उम्र 24 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 16 अकाउंट किट (चैक बुक , डैबिट कार्ड)
- 89000/- रुपये
- 09 मोबाइल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना इन्दिरापुम पुलिस टीम ।